

संख्या.....

प्रपत्र मूल्य –रु0 500.00

निविदा प्रपत्र (तकनीकी)

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,
संस्कृत भवन न्यू हैदराबाद,
लखनऊ-226001

महोदय,

मैं/हम निदेशक, उ0प्र0 संस्कृत संस्थान, लखनऊ द्वारा आमंत्रित सिविल सेवा कोचिंग के संचालन हेतु अपना टेण्डर निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

क्रम	विवरण	
1	सन्दर्भ/विज्ञापन संख्या व दिनांक	
2-	फर्म/संस्था/एन.जी.ओ./कं0 का नाम (पंजीकरण संख्या सहित)	
3-	फर्म/संस्था का रजिस्टर्ड पता, टेलीफोन नं0/मोबाइल नं0 सहित	
4-	फर्म/संस्था के प्रोपराइटर/प्रबन्ध निदेशक का नाम	
5-	अर्नेस्ट मनी की डी0डी0/ दिनांक (टेण्डर मूल्य का 1प्रतिशत)	
6-	जी0एस0टी0 पंजीयन संख्या : {पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें}	
7-	आयकर पंजीयन संख्या : {पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें} एवं 03 वर्ष का आयकर रिटर्न	
8-	फर्म/कम्पनी के ब्लैक लिस्टेड न होने एवं उसके विरुद्ध आपराधिक मामला लम्बित न होने संबंधी शपथ-पत्र(सौ रूपये के स्टैम्प पर)	
9-	10 वर्षों का अनुभव प्रमाण-पत्र और कोचिंग संस्थान से न्यूनतम 2000 छात्र/छात्राओं के कोचिंग लेने की सूची की छायाप्रति संलग्न करें।	
10-	कोचिंग कार्य हेतु निर्धारित प्राधिकरण का पंजीकरण का प्रमाण-पत्र।	

11	विगत 03 वर्ष का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी रू. 400.00 लाख के वार्षिक टर्न ओवर का प्रमाण-पत्र	
12	कोचिंग संस्थान में विगत 10 वर्षों न्यूनतम 200 छात्रों के सिविल सेवा में (स्टेट/केन्द्र) के चयन होने का प्रमाणपत्र।	
13	कोचिंग संस्थान का राज्य/केन्द्र के सरकारी संस्थान के साथ कार्य करने के अनुभव प्रमाण-पत्र के रूप में कार्यादेश की प्रति संलग्न करें।	

13- मैं/हम निदेशक, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के सन्दर्भ में निविदा की समस्त नियम शर्तों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं, जिसके लिये विभाग का निर्धारित निविदा फार्म भरकर शुल्क सहित भेज रहा हूँ/भेज रहे हैं, जिसकी प्रमाणिकता स्वरूप निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर दिया है/दिये हैं।

दिनांक :

हस्ताक्षर निविदादाता
पूरा नाम व पता मोबाइल नम्बर सहित

वित्तीय बिड

1. आयोजन का स्थल— प्रयागराज
 2. आयोजन का सत्र:— दिसम्बर, 2023 से सितम्बर,2023 तक (दस माह)
- उपरोक्त आरक्षित स्थान में निम्न कार्य कराये जाने होंगे :-

क्रम	कार्य का विवरण	बेस बैल्यू	जी0एस0टी0	कुल धनराशि
1	प्रारम्भिक, सी.सैट एवं मुख्य परीक्षा में संस्कृत विषय रख कर तैयारी करने हेतु प्रति छात्र कोचिंग की शुल्क की दर (न्यूनतम 50 छात्रों के आधार पर) स्टडी मैटेरियल व टेस्ट पेपर आदि के साथ			

नियम और शर्तें

1. संस्था / एन०जी०ओ० / फर्म / कम्पनी का प्रोफाइल एवं निबंधन प्रमाण-पत्र ।
- 2- N-G-O/Trust-Pvt Company/L-L-P पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा उक्त कार्य हेतु Joint Venture Consortium मान्य नहीं होगा ।
3. संस्था/फर्म द्वारा इस आशय से रू0 100/- के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र कि किसी भी सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं गैर सरकारी विभाग या संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड न हो तथा इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद विवाद नहीं चल रहा है एवं सम्बन्धित समस्त अभिलेख वैध है, प्रस्तुत करना होगा। पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था द्वारा प्राप्त प्रस्ताव को निरस्त कर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाई की जायेगी।
4. संस्था का पैन नंबर, पैनकार्ड की स्वयं सत्यापित छायाप्रति (पैन नंबर अनिवार्यत होना चाहिए) संस्था का जी.एस.टी. नंबर (जी एस. टी प्रमाण पत्र) / टेन नंबर की स्वयं सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
5. विगत तीन वर्षों का औसत टर्न ओवर 04 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। संस्था को प्रमाण स्वरूप विगत 03 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report) प्रस्तुत करना होगा।
6. कोचिंग संस्था / फर्म के व्यवसाय का पिछले 03 वर्षों में जमा किये गये सर्विस टैक्स/ जी. एस.टी.का विवरण।
7. इच्छुक कोचिंग संस्थान को न्यूनतम 10 वर्षों का सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में कोचिंग देने का अनुभव होना अनिवार्य है।
8. इच्छुक कोचिंग संस्थान द्वारा विगत 10 वर्षों में न्यूनतम 2000 छात्रों को कोचिंग देने का अनुभव होना अनिवार्य है।
9. इच्छुक कोचिंग संस्थान द्वारा विगत 10 वर्षों में 100 से अधिक छात्रों का सिविल सर्विसेज (स्टेट/केन्द्र) में अंतिम रूप से चयन होना अनिवार्य है।
10. अर्नेस्ट मनी टेण्डर मूल्य का 1 प्रतिशत टेण्डर फार्म जमा करते समय डी0डी0 के रूप में जमा करना अनिवार्य है।
11. कुल टेण्डर मूल्य का 5 प्रतिशत धरोहर राशि के रूप में टेण्डर स्वीकृत होने पर 3 कार्य दिवसों में जमा करना होगा।
12. किसी भी एक या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये संशोधन/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
13. निविदादात किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/संस्था का सब कांट्रेक्टर नहीं होना चाहिये और न ही अनुबन्ध होने के पश्चात् उक्त कार्य को किसी अन्य को अन्तरित किया जायेगा।
14. यदि सफल निविदादाता अनुबन्ध की अवधि में, अनुबन्ध के सेवा एवं शर्तों का पालन करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा की गई सिक्यूरिटी धनराशि जब्त किया जा सकता है।
15. उपर्युक्त समस्त सेवा एवं शर्तें मान्य है, का शपथ-पत्र संलग्न करना होगा।
16. सफल निविदादाता को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ के साथ रू0-100/- के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।

17. समस्त विवाद क्षेत्राधिकार लखनऊ न्यायालय मे निपटाये जायेंगे।

फैकल्टी के संबंध में अनिवार्य अर्हता

कोचिंग संस्थान के कम से कम दो फैकल्टी का लोकल रेसिडेन्स होना अनिवार्य है।

(At least two resident faculty is mandatory for coaching center)

(1) संघ लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार परीक्षा (CSE) में कम से कम एक बार उपस्थित हुए हो।

or

(ii) सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी हेतु किसी संस्थान में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो।

(iii) सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी हेतु सरकार के माध्यम से संचालित कोचिंग का अनुभव रखते हो।

or

(iv) राज्य/केन्द्र के विश्वविद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष पढ़ाने का अनुभव रखते हों।

नोट:- सभी फैकल्टी का अनिवार्य अर्हता के सम्बन्ध में वैध कागजात की स्व अभिप्रमाणित प्रति के साथ सी0वी0 संलग्न करना अनिवार्य है।

(v) सिविल सर्विसेज के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विषय हेतु फैकल्टी का नाम एवं सम्बन्धित विषय से सम्बन्धित सूचना भरकर संलग्न करना अनिवार्य होगा। संलग्न करें सपत्र-1 में।

चयनित कोचिंग संस्था के दायित्व

(1) कोचिंग प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु संसाधनिक सुविधाएं भवन, विधुत, फर्नीचर, अन्य शैक्षणिक व्यवस्था जैसे प्रशिक्षक, स्टडी मैटेरियल मूल्यांकन हेतु टेस्ट आदि की व्यवस्था कोचिंग संस्थान को करना होगा।

(2) अध्यापन की अवधि प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे अथवा अधिकतम 5 घंटे की होगी। इसके अंतर्गत संघ एवं राज्य सेवा आयोग की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न अनुरूप अध्यापन करना होगा।

(3) आवश्यकता होने पर छात्रों के शंका समाधान दूर करने हेतु अतिरिक्त कक्षाएँ आयोजित करनी होगी।

(4) विद्यार्थीवार प्रगति का विश्लेषण कर कार्य योजना बनानी होगी तथा बैचवार एवं विद्यार्थीवार प्रगति का विवरण रखना अनिवार्य होगा।

(5) कोचिंग संस्था द्वारा मासिक टेस्ट लिया जाना अनिवार्य होगा। कक्षा में लिये जाने वाले टेस्ट की सूचना तथा छात्रों की प्रगति की सूचना कार्यालय को देनी होगी।

चयनित कोचिंग संस्थान को विभाग से अनुबंध संपादित करना आवश्यक होगा, जो एक प्रशिक्षण सत्र के लिये होगा, जिसे आवश्यकतानुसार आगामी वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकेगा।

निदेशक